(कायदा 129)

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलासर (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का बरेव

बनाम श्री जैराम
पुत्र श्री रामा
जाति जाट नि. बरेव

मुकदमा नं. 27 / 2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम बरेव खसरा नम्बर 508 रकबा 1.50 हैक्टर किस्म चाही 2 (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री जैराम पुत्र श्री रामा जाति जाट निवासी बरेव (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलव किया गया। तलबी पर अप्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही जाकर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित कीया जाकर जुर्माना से दण्डित किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बरेव ख.न. 508 रकवा 1.50 किस्म चाही 2 पर संवत 2075 में विना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 25 प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 1875/रु (रूपये) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेव भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलासर (नागौर)

पंजिका में दर्ज 2018-11 के पृष्ठ सं. 61
पुत्र प्रा० प० 1875/ रु० को

Scanned by CamScanner